

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 610/2014/हनुमानगढ़

राममूर्ति पत्नि श्री प्रहलाद जाति जाट,  
निवासी भरवाना, तहसील भादरा  
जिला हनुमानगढ़  
बनाम

.....प्रार्थीया

1. राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक नोहर  
जिला हनुमानगढ़
2. खेताराम पुत्र राधाकिशन, मन्दरपुरा तह. नोहर  
जिला हनुमानगढ़।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री शशिकांत जोशी  
अभिभाषक  
श्री अनिल पोखरणा  
उपराजकीय अभिभाषक  
नाम तर्क

..... प्रार्थीया 1 की ओर से

..... अप्रार्थी सं. 1 की ओर से  
..... अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 28/02/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कलक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 24/2010 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2011 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण 2 से दिनांक 16.06.2008 को जरिये विक्रय पत्र से कृषि भूमि स्थित ग्राम मन्दरपुरा तहसील नोहर की खाता संख्या 353/278 कुल रकबा 73 बीघा 3 बिस्वा में से खसरा नम्बरान क्रमशः 879 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, 963 रकबा 14 बीघा कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि क्रय की गयी एवं प्रार्थीया द्वारा उक्त विक्रय पत्र को वास्ते पंजीकरण हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर उपपंजीयक नोहर द्वारा उक्त कृषि भूमि की मालियत 6,19,164/- रु. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क पर उक्त विक्रय पत्र का पंजीकरण कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2008 का दस्तावेज प्रार्थीया को लौटा

दिया। विक्रय पत्र के पंजीकरण के 2 वर्ष पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ के न्यायालय में एक रेफ्रेन्स ऑडिट आक्षेप के इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि "उक्त दस्तावेज में कहीं भी कृषि भूमि का सड़क से दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही विभाग ने इस अपूर्ण दस्तावेज के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की है अतः डी.एल.सी. के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार सड़क से पास की मालियत होना वांछनीय है।" उक्त रेफ्रेन्स को विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 14.01.2010 को दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली में आगामी पेशी 23.09.2010 नियत की गयी। आगामी पेशी दिनांक 23.09.2010 पर पत्रावली में प्रार्थीया पर नोटिस जारी फरमाये गये। बाद सूचना प्रार्थीया जरिये अभिभाषक विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ के न्यायालय में दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "विवादित आराजी आबादी व मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं ऐसी सूरत में विवादित आराजी का सक्षम राजस्व कर्मचारी से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रश्नगत रेफ्रेन्स की कार्यवाही को बन्द करने के आदेश फरमाये"। विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 15.11.2010 को विद्वान तहसीलदार (राजस्व) नोहर को आदेश प्रदत्त किये कि "वे विवादित आराजी के मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मय राजस्व नक्शा ट्रेस न्यायालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करें कि प्रश्नगत आराजी सड़क पर है या नहीं।" विद्वान तहसीलदार (राजस्व) नोहर को उक्त आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने दिनांक 03.12.2010 को मूल आदेश को पटवारी हल्का मन्दरपुरा को भेजकर उन्हें विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ द्वारा चाही गयी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश प्रदत्त किये। पटवारी हल्का मन्दरपुरा द्वारा उक्त आदेशों के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2011 प्रस्तुत की कि "श्रीमान् जी से निवेदन है कि ग्राम मन्दरपुरा के खसरा संख्या 879 व 963 की भूमि सड़क पर स्थित नहीं है भूमि की सड़क से दूरी लगभग 1 1/2 किलोमीटर है। दिनांक 30.03.2011 को उक्त मौका रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल मिसल कर पत्रावली वास्ते बहस मुख्यालय हनुमानगढ़ पर प्रस्तुत करने के आदेश प्रदत्त कर दिये। दिनांक 26.09.2011 को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की अन्तिम बहस समाहित कर विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के रेफ्रेन्स को स्वीकार फरमाते हुए आदेश दिनांक 26.09.2011 से विवादित आराजी को सड़क पर अवस्थित होना मानते हुये प्रार्थी से कुल 1,28,400/- रुपये वसूल करने के आदेश प्रदान कर दिये।

जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 का नाम विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया के निवेदन पर तर्क किया गया।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने कथन किया कि रेफरेन्स इस बिन्दु पर आधारित था कि दस्तावेज में सड़क से दूरी का उल्लेख नहीं है व न ही विभाग ने इस बिन्दु पर कोई परीक्षण किया है जिससे दस्तावेज से संबंधित भूमि सड़क पर मानकर किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट भी मंगवाई है तथा प्रार्थीया ने जवाब भी प्रस्तुत किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट जबाब पर विचार किये बिना रेफरेन्स स्वीकार किया है तथा निर्णय में रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई निष्कर्ष भी पारित नहीं किया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग है व नॉन रिजण्ड है। मौका रिपोर्ट में भूमि सड़क से 1-1/2 किलोमीटर दूर बताई है जिससे इस भूमि को सड़क पर नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि " उक्त दस्तावेज में कहीं भी कृषि भूमि का सड़क से दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही विभाग ने इस अपूर्ण दस्तावेज के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की है अतः डी.एल.सी. के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार सड़क से पास की मालियत होना वांछनीय है।" प्रार्थीया जरिये अभिभाषक विद्वान कलक्टर(मुद्रांक) हनुमानगढ़ के न्यायालय

में दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "विवादित आराजी आबादी व मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं ऐसी सूरत में विवादित आराजी का सक्षम राजस्व कर्मचारी से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रश्नगत रेफरेन्स की कार्यवाही को बन्द करने के आदेश फरमाये"। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक रीडर/2010/एसपीएल-4 दिनांक 15.11.2010 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) नोहर से मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 14 पर यह पत्र उपलब्ध है जिस पर संबंधित तहसीलदार ने मूल ही पटवार हल्का मन्दरपुरा को भेज कर चाही रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतु लिखा है। इस पत्र के पीछे पटवार हल्का की रिपोर्ट निम्न प्रकार है " श्रीमान् जी, निवेदन है कि ग्राम मन्दरपुरा के खसरा नं. 879 व 963 की भूमि सड़क पर स्थित नहीं है। भूमि की सड़क से दूरी लगभग 1-1/2 किलोमीटर है। हस्ताक्षर पटवारी मन्दरपुरा दिनांक 07.01.2011 । प्रति हस्ताक्षर तहसीलदार राजस्व नोहर दिनांक 19.01.2011 ।" अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि ग्राम मन्दरपुरा खसरानं. 879 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, 963 रकबा 14 बीघा कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा की सड़क की दूरी के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण नहीं किया है। प्रार्थीया के जवाब व मौका रिपोर्ट पर भी विचार करते हुये निर्णय पारित नहीं किया है जबकि जवाब में व मौका रिपोर्ट में भूमि सड़क पर स्थित होना नहीं बताया गया है। विचाराधीन प्रकरण में यह बिन्दू महत्वपूर्ण था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि सड़क पर स्थित है या नहीं क्योंकि डी.एल.सी. के नोट क्रम सं. 3 के अनुसार ग्राम मन्दरपुरा की भूमि जो सड़क पर स्थित है का मूल्यांकन 4 लाख रु. की दर से किये जाने का प्रावधान है। संबंधित पटवारी हल्का जिसके पास राजस्व रिकार्ड होता है तथा जो मौके का राजस्व अधिकारी है की रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है, विश्वास योग्य है जब तक की उसके विरुद्ध अन्य साक्ष्य नहीं हो। इस रिपोर्ट में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित कृषि भूमि की सड़क से दूरी 1-1/2 दूरी बताई है जिससे स्पष्ट है कि यह भूमि सड़क पर स्थित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के भूमि को सड़क पर मानकर रेफरेन्स स्वीकार किया है जो तथ्यों एवं विधि के अनुरूप नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों के विपरीत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में निगरानीधीन निर्णय दिनांक 26.09.2011 निरस्त किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

नरेश्वर  
(नत्थूराम)  
सदस्य